

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 27/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

- 1 मांगू पुत्र श्री नानू गुर्जर नि० नाथडियास तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

- 1 श्रीमती लाड कंवर पत्नी श्री डूंगर सिंह राजपुत नि० कांगोली तह० व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2 नेपाल सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह रावत नि० ठगो का खेडा तह० व जिला भीलवाड़ा(राज.)
3 भंवर सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह रावत नि० ठगो का खेडा तह० व जिला भीलवाड़ा(राज.)
4 भेरू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह रावत नि० ठगो का खेडा तह० व जिला भीलवाड़ा(राज.)
5 रूकमणी पत्नी श्री सत्यनारायण कुम्हार नि० तेजाजी का चौक, भीलवाड़ा तह० एव जिला भीलवाड़ा(राज.)
6 श्री सत्यनारायण कुम्हार पुत्र श्री नन्दलाल कुम्हार नि० तेजाजी का चौक, भीलवाड़ा तह० एव जिला भीलवाड़ा(राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)
की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :- श्री कैलाशचन्द्र आचार्य ----- प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
अप्रार्थी संख्या 01,से 06 अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांक 30-01-2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 09-04-2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है:-

यह कि सरहद नाथडियास पटवार हल्का बिलिया कलॉ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 28/1, 29/1 भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रार्थी होकर मालिक काबिज है। यह कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि खेतो मे जाने वाले रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 12 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 9 एवं 11 से होकर अपनी आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 28/1, 29/1 मे आता जाता है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के समय से लाता ले जाता है, जो गाडी गडार रास्ता बना हुआ। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई सरल, सुगम रास्ता मौजूद नही है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

यह है कि प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थी की आराजी को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षीगण को दिनांक 20 बीस फरवरी 2021 दो हजार इक्कीस को रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। इस कारण से प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थी ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा- 251-ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद नाथडियास पटवार हल्का बिलिया कलाँ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 27/1 27/2 28/1 29/1 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि खेतों में जाने वाले रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 12 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 9 एवं 11 से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 26, 26/1 27, 27/1, 27/2 28/1 29/1 में आता जाता है, को 15 फीट चौड़ाई में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 से 06 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा नाथडीयास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलाँ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के खातेदारी खसरा संख्या 5(बिलानाम सरकार) रकबा 0.0506है० में से रकबा 0.0390है०,(78X5=390) आराजी संख्या 9 रकबा 0.4173 है० में से रकबा 0.0300 है०(60X5=300) एवं आराजी संख्या 11 रकबा 0.4552है० में से रकबा 0.0415है०,(83X5=415) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

उपपट्टी अधिकारी
हमीरगढ

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिफेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि-

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :- प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौड़ाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा नाथडीयास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के खातेदारी खसरा संख्या 5(बिलानाम सरकार) रकबा 0.0506 है 0 मे से रकबा 0.0390 है 0, (78X5=390) आराजी संख्या 9 रकबा 0.4173 है 0 मे से रकबा 0.0300 है 0 (60X5=300) एवं आराजी संख्या 11 रकबा 0.4552 है 0 मे से रकबा 0.0415 है 0, (83X5=415) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

—: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा नाथडीयास पटवार मण्डल क्षेत्र बिलियाकलां तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के खातेदारी खसरा संख्या 5(बिलानाम सरकार) रकबा 0.0506 है 0 मे से रकबा 0.0390 है 0, (78X5=390) आराजी संख्या 9 रकबा 0.4173 है 0 मे से रकबा 0.0300 है 0 (60X5=300) एवं आराजी संख्या 11 रकबा 0.4552 है 0 मे से रकबा 0.0415 है 0, (83X5=415) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावे।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0390 हैक्टेयर (390 वर्गमीटर), 0.0300 हैक्टेयर (300 वर्गमीटर), 0.0415 हैक्टेयर (415 वर्गमीटर) की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 07

उपस्थित अधिकारी
हमीरगढ

(आराजी संख्या 5,9,11 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मैहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी-हमीरगढ
उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा
हमीरगढ